बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

पत्रांक : 11/यो० 03–11/2026–368 पटना, दिनांक 24/02/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– **राज्य योजनान्तर्गत राज्य के कुल 8941 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं हेतु सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर अधिष्ठापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रति सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर ₹45,000/– (पैंतालीस हजार) रूपये की दर से व्यय की जाने वाली (अन्य व्यय सहित) कैबिनेट से स्वीकृत कुल राशि ₹40,25,00,000/–(चालीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य योजनान्तर्गत राज्य के कुल 8941 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं हेतु सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर अधिष्ठापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रति सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर ₹45,000/– (पैंतालीस हजार) रूपये की दर से व्यय की जाने वाली (अन्य व्यय सहित) कैबिनेट से स्वीकृत कुल राशि ₹40,25,00,000/–(चालीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वर्त्तमान में बिहार राज्य के अन्तर्गत कुल 9360 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिनमें से समग्र शिक्षा PAB, 2023–24 के अन्तर्गत 419 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनेटर अधिष्ठापित है। उक्त परिस्थिति में राज्य के शेष 8941 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं हेतु सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर अधिष्ठापित करने की आवश्यकता है, जिसके आलोक में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्रांक–291, दिनांक–13.01.2026 द्वारा प्रेषित अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रति सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर ₹45,000/–(पैंतालीस हजार) रूपये (**@ Rs. 32,000 Base Price in Year 2023 with 10% Annual increase, 5 Years Annual Maintenance Charge (AMC Cost) and Goods and Service Tax (GST)**) मात्र की दर से व्यय की जाने वाली (अन्य व्यय सहित) कुल राशि ₹40,25,00,000/–(चालीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये मात्र की आवश्यकता है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के कुल 8941 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर अधिष्ठापित एवं

संचालन का लक्ष्य दिनांक–08.03.2026 से पूर्व निर्धारित किया गया है। उक्त सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर अधिष्ठापित एवं संचालित हो जाने के फलस्वरूप उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिका गंभीर संक्रमण से बचे रह सकेंगे एवं स्वच्छ वातावरण में निर्भीक रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।

4. राज्य योजनान्तर्गत राज्य के कुल 8941 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं हेतु सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर अधिष्ठापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रति सेनेट्री पैड वेंडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर ₹45,000/–(पैंतालीस हजार) रूपये (@ Rs. 32,000 Base Price in Year 2023 with 10% Annual increase, 5 Years AMC Cost and GST) मात्र की दर से व्यय की जाने वाली (अन्य व्यय सहित) कुल राशि ₹40,25,00,000/–(चालीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये मात्र है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिनांक–08.03.2026 से पूर्व पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

5. स्वीकृत राशि का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–02–माध्यमिक शिक्षा, लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0101–माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, विपत्र कोड–21–2202–02–001–0101, विषयशीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां के अन्तर्गत होगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना अन्तर्गत कुल उद्व्यय/उपबंध ₹8,97,00,00,000/–(आठ अरब संतान्वे करोड़) रूपये मात्र है, जिसमें सामग्री एवं पूर्तियां मद मे कुल ₹2,00,00,00,000/–(दो अरब) रूपये मात्र का उदव्यय/उपबंध प्राप्त है।

6. विमुक्त की जाने वाली राशि अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग द्वार BTC-46 पर विपत्र तैयार कराकर कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, विकास भवन, पटना के माध्यम से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के A/c Name--Samagra Shiksha BEPC, Bihar के खाता संख्या–40385607280, IFSC Code--SBIN000153 & Bank Name/Branch Name--State Bank of India, Patna Secretariat में राशि का अन्तरण अन्तरण जमा के द्वारा किया जायेगा। यह कार्य CFMS के माध्यम से प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

7. योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर प्राचार्य/प्राचार्य, प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड तथा समय–समय पर अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित पदाधिकारी एवं बजट शाखा, शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

8. राशि की निकासी एवं उक्त मदों की गुणवत्ता हेतु समय–समय पर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, पटना, बिहार तथा शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों/संकल्पों तथा आदेशों में निहित प्रावधान का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

10. व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर उक्त कार्यकारी एजेंसी के द्वारा विभाग के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं ह0) बिहार, पटना को निर्धारित अवधि में उपलब्ध करायेंगे।

11. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी आदेश संख्या–2561 दिनांक–17.07.1998 एवं वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय–समय निर्गत संकल्प/परिपत्रों/अन्य पत्रों में निहित निदेशों/आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–03 एवं कंडिका–05 (ख) (ii) के आलोक में राशि की निकासी की जा रही है।

14. उक्त योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–06.02.2026 में प्राप्त है।

15. राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति के प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

16. संचिका संख्या–11/यो० 03–11/2026 के **पृष्ठ/नोट–27/टि०** पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. संचिका संख्या–11/यो० 03–11/2026 के **पृष्ठ/नोट–30/टि०** पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेशसे,

ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक: 11/यो० 03–11/2026............. पटना, दिनांक ....

<u>प्रतिलिपि</u>:– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक: 11/यो० 03–11/2026–368 पटना, दिनांक 24/02/2026

<u>प्रतिलिपि</u>:– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/योजना शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.2.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग